

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीण्डर, जिला - उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश सीरवी पुनाडियां R.A.S.

GCMS प्रकरण संख्या 2022/55

प्रकरण संख्या 27/22

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

अनवान

श्री हीरालाल अहीर

बनाम

तहसीलदार भीण्डर

निर्णय

दिनांक : 20.05.2022

1. प्रार्थी श्री हीरालाल पिता लक्ष्मण अहीर निवासी हमेरपुरा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम हमेरपुरा पटवार हल्का भोपाखेड़ा की जमाबन्दी संवत् 2078-81 के खाता संख्या 146 के आराजी संख्या 827, 828 कुल रकबा 0.4600 हैक्टेयर भूमि राजस्व रेकर्ड में भंवरसिंह, निर्भयसिंह, हरिसिंह, गोर्धनसिंह पिता हमेरसिंह, मु. मेताबकुंवर बेवा हमेरसिंह 1/2 हिस्सा बराबर, चन्द्रकला पत्नि हीरालाल 1/2 हिस्सा बराबर जाति अहीर दर्ज है जो भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा तैयार रिकार्ड से पूर्व राजस्व रेकर्ड में मौजा हमेरपुरा के खाता संख्या 182 की आराजी संख्या 499 का कुला रकबा 2-03 बीघा हीरालाल पिता लक्ष्मण अहीर हिस्सा 1/2 एवं चन्द्रकला पत्नि हीरालाल अहीर हिस्सा 1/2 दर्ज थी जिसे भू-प्रबन्धन विभाग द्वारा बिना कोई आदेश प्रार्थी के राजस्व रेकर्ड में त्रुटि की गई है उसको दुरस्त करने का आदेश फरमावे। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को जॉच एवं जवाब रिपोर्ट हेतु निर्देशित किया गया।
2. तहसीलदार भीण्डर द्वारा जवाब रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम हमेरपुरा, पटवार हल्का भोपाखेड़ा की जमाबन्दी संवत् 2078-81 के खाता संख्या 146 के आराजी संख्या 827, 828 कुल रकबा 0.4600 हैक्टेयर राजस्व रेकर्ड में खातेदार भंवरसिंह, निर्भयसिंह, हरिसिंह, गोर्धनसिंह पिता हमेरसिंह, मु.मेताबकुंवर बेवा हमेरसिंह 1/2 हिस्सा बराबर राजपुत एवं चन्द्रकला पत्नि हीरालाल 1/2 हिस्सा बराबर सा. देह हमेरपुरा दर्ज रेकर्ड है जबकि भू-प्रबंधन विभाग की कार्यवाही से पूर्व की रेकर्ड की स्थिति जमाबन्दी संवत् 2050-53 के खाता संख्या 182 के आराजी संख्या 499 कुल रकबा 2-03 बीघा नामा सं. 377 निर्णय दिनांक 29.08.1995 विक्रय से भंवरसिंह, निर्भयसिंह, हरिसिंह, गोर्धनसिंह पिता हमेरसिंह, मु.मेहताबकुंवर बेवा हमेरसिंह 1/2 हिस्सा बराबर के बजाय हीरालाल पिता लक्ष्मण 1/2 हिस्सा बराबर जाति अहीर के नाम रेकर्ड में दर्ज हुआ एवं नामान्तरण संख्या 703 निर्णय दिनांक 29.08.2017 विक्रय से गोकुल, भंवरलाल पिता जयचन्द्र 1/2 हिस्सा बराबर अहीर के बजाय चन्द्रकला पत्नि हीरालाल 1/2 हीस्सा बराबर के नाम रेकर्ड में दर्ज की स्वीकृति हुई। भूमि बन्दोबस्त के बाद भूमि रेकर्ड की स्थिति अनुसार जमाबन्दी संवत् 2061-2064 में खाता संख्या 183 नवीन खसरा संख्या




उपखण्ड अधिकारी भीण्डर
जिला-उदयपुर (राज.)

- 827, 828 कुल किता 2 कुल रकबा 0.4600 हैक्टैयर भूमि में भंवरसिंह, निर्भयसिंह, हरिसिंह, गोर्धनसिंह पिता हमेरसिंह, मु.मेताबकुंवर बेवा हमेरसिंह 1/2, चन्द्रकला पत्नि हीरालाल 1/2 हिस्सा बराबर जाति अहीर सा. निमड़ी खातेदार दर्ज रेकर्ड है।
3. मिलान क्षेत्रफल (तुलनात्मक मिलान क्षेत्रफल) अनुसार बंदोबस्त पूर्व गत आराजी संख्या 499 रकबा 02-03 बीघा के नवीन हाल नम्बर 827, 828 रकबा 0.4600 हैक्टैयर नम्बर बने है। बन्दोबस्त बाद पूर्व जमाबन्दी संवत् 2050-2053 के खाता संख्या 182 के आराजी संख्या 499 कुल रकबा 2-03 बीघा नामा संख्या 377 दिनांक 29.08.1995 विक्रय से भंवरसिंह, निर्भयसिंह, हरिसिंह, गोर्धनसिंह पिता हमेरसिंह, मु. महताबकुंवर बेवा हमेरसिंह 1/2 हिस्सा बराबर के बजाय हीरालाल पिता लक्ष्मण 1/2 जाति अहीर सा. देह के नाम रेकर्ड में दर्ज हुआ लेकिन बन्दोबस्त रेकर्ड में उक्त अमलदरामद ना होकर पूर्व खातेदार भंवरसिंह, निर्भयसिंह, हरिसिंह, गोर्धनसिंह पिता हमेरसिंह, मु.मेहताबकुंवर बेवा हमेरसिंह 1/2 हिस्सा बराबर दर्ज रेकर्ड चला आ रहा है। अतः तहसीलदार भीण्डर ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि पूर्व रेकर्ड अनुसार भंवरसिंह, निर्भयसिंह, हरिसिंह, गोर्धनसिंह पिता हमेरसिंह, मु.मेहताबकुंवर बेवा हमेरसिंह 1/2 हिस्सा बराबर के बजाय हीरालाल पिता लक्ष्मण 1/2 जाति अहीर सा. देह दर्ज किया जाना उचित है। हमने पत्रावली को दर्ज रजिस्टर किया।
4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा तहसीलदार भीण्डर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया जिससे मौजा राजस्व ग्राम हमेरपुरा, पटवार हल्का भोपाखेड़ा की जमाबन्दी संवत् 2050-53 के खाता संख्या 182 के आराजी संख्या 499 कुल रकबा 2-03 बीघा नामा सं. 377 निर्णय दिनांक 29.08.1995 विक्रय से भंवरसिंह, निर्भयसिंह, हरिसिंह, गोर्धनसिंह पिता हमेरसिंह, मु.मेहताबकुंवर बेवा हमेरसिंह 1/2 हिस्सा बराबर के बजाय हीरालाल पिता लक्ष्मण 1/2 हिस्सा बराबर जाति अहीर के नाम रेकर्ड में दर्ज हुआ एवं नामान्तरण संख्या 703 निर्णय दिनांक 29.08.2017 विक्रय से गोकुल, भंवरलाल पिता जयचन्द्र 1/2 हिस्सा बराबर अहीर के बजाय चन्द्रकला पत्नि हीरालाल 1/2 हीस्सा बराबर के नाम रेकर्ड में दर्ज की स्वीकृति हुई। भूमि बन्दोबस्त के बाद भूमि रेकर्ड की स्थिति अनुसार जमाबन्दी संवत् 2061-2064 में खाता संख्या 183 नवीन खसरा संख्या 827, 828 कुल किता 2 कुल रकबा 0.4600 हैक्टैयर भूमि में भंवरसिंह, निर्भयसिंह, हरिसिंह, गोर्धनसिंह पिता हमेरसिंह, मु.मेताबकुंवर बेवा हमेरसिंह 1/2, चन्द्रकला पत्नि हीरालाल 1/2 हिस्सा बराबर जाति अहीर सा. निमड़ी खातेदार दर्ज रेकर्ड है एवं वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2078-81 की आराजी संख्या 827 रकबा 0.2300 हैक्टैयर एवं आराजी संख्या 828 रकबा 0.2300 हैक्टैयर भूमि में भंवरसिंह, निर्भयसिंह, हरिसिंह, गोर्धनसिंह पिता हमेरसिंह, मु.मेताबकुंवर बेवा हमेरसिंह 1/2, चन्द्रकला पत्नि हीरालाल 1/2 हिस्सा बराबर जाति अहीर सा. निमड़ी खातेदार दर्ज है।



5. अतः पत्रावली के अवलोकन पश्चात् जमाबन्दी संवत् 2078-81 के खाता संख्या 146 की आराजी संख्या 827 रकबा 0.2300 हैक्टेयर एवं आराजी संख्या 828 रकबा 0.2300 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.4600 हैक्टेयर भूमि में वर्तमान में दर्ज गोर्धनसिंह पुत्र हमेरसिंह हिस्सा 1/10, निर्भयसिंह पुत्र हमेरसिंह हिस्सा 1/10, भंवरसिंह पुत्र हमेरसिंह हिस्सा 1/10, हरिसिंह पुत्र हमेरसिंह हिस्सा 1/10 एवं मेताबकुंवर पत्नि हमेरसिंह हिस्सा 1/10 जाति राजपुत के बजाय हीरालाल पुत्र लक्ष्मण हिस्सा 1/2 जाति अहीर के नाम राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत शुद्धि किया जाना उचित प्रतीत होता है।
6. अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर मौजा हमेरपुरा, पटवार हल्का भोपाखेड़ा तहसील भीण्डर की जमाबन्दी संवत् 2078-81 की आराजी संख्या 827, रकबा 0.2300 हैक्टेयर एवं आराजी संख्या 828 रकबा 0.2300 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.4600 हैक्टेयर भूमि में वर्तमान में दर्ज गोर्धनसिंह पुत्र हमेरसिंह हिस्सा 1/10, निर्भयसिंह पुत्र हमेरसिंह हिस्सा 1/10, भंवरसिंह पुत्र हमेरसिंह हिस्सा 1/10, हरिसिंह पुत्र हमेरसिंह हिस्सा 1/10 एवं मेताबकुंवर पत्नि हमेरसिंह हिस्सा 1/10 जाति राजपुत के बजाय हीरालाल पुत्र लक्ष्मण हिस्सा 1/2 जाति अहीर के नाम राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार भीण्डर राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद करे।
7. निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।




 (रमेश सीरवी पुनाड़िया RAS)
 उपखण्ड अधिकारी
 भीण्डर जिला-उदयपुर(राज.)
 उपखण्ड अधिकारी भीण्डर
 जिला-उदयपुर (राज.)